संख्या:39/2020/510/35-4-2020

प्रेषक ,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:28 मार्च,2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र के कार्यो हेतु रू. 6295.73 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अर्थात् रू. 6295.73 लाख (रूपये बासठ करोड़ पच्यान्वे लाख तिहत्तर हजार मात्र), निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	अनुमोदित लागत
1	1	महादेव झारखण्डी टु0नं001 में पम्प हाउस से कैलाश जायसवाल के मकान तक एच.एम.पी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.760	49.66
2	3	प्रीती विहार में श्री आर0के0 पाण्डेय के मकान से श्री जलालू के मकान तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.430	45.84
3	3	नहर पुलिया से शिवपुरी पुलिया तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1.080	72.31
4	3	रानी डिहा में श्री रहमू के घर से श्री जाहिद के घर तक इ0ला0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.650	36.85
5	3	देवरिया मेन रो0 श्री मुल्तान अली के घर से श्री मयंक राय के घर तक इ0ला0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.600	58.67
6	3	देवरिया मेन रो0 श्री विदेशी के मकान से वनशक्ति मंदिर तक इ0ला0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.700	68.43
7	3	थाना खोराबार देवरिया मुख्य मार्ग जंगली के मकान से श्री पप्पू पाण्डेय के मकान तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1.00	85.76
8	3	दिव्यनगर में बसन्तविहार से श्री अश्वनी के मकान तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1.500	128.21
9	3	मु0 सिंघडिया में डॉ0 मनदेव उपाध्याय के घर से श्रीमती रामगती के घर तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1.350	90.23
10	3	मु0 सरवन नगर में श्री मनोज पाण्डेय के मकान से श्री गोपाल दूबे के घर तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1.220	107.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	अनुमोदित लागत
11	4	चौधरी टोला भरटोरिया एवं पीरू शहीद तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.950	49.38
12	4	मु0 नौतन से मेडिकल कालेज हाईडिल तक इ0ला0 सड़क का निर्माण कार्य	0.800	59.75
13	5	नन्दानगर में सैनिक विहार से बचपन प्लेवे स्कूल होते हुए पानी की टंकी तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य।	1.800	143.40
14	7	राप्तीनगर पॉवर हाउस से राजजानकी नगर कुआं तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1.344	79.43
15	7	एस0एस0 होटल से अंकुर अतिथि भवन, वन विभाग से पत्रकार पुरम तक तथा शाहपुर थाना से गंगा नगर तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1.500	108.53
16	7	राप्तीनगर मुख्य मार्ग से चेतना प्रेस होते हुए रामजानकी नगर चौराहे तक नाली व हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य।	0.550	35.55
17	7	अन्नपूर्णा तिराहे से राप्तीनगर चौक तक साइड पटरी पर इ0ला0 का कार्य।	0.460	69.99
18	7	अन्नपूर्णा तिराहे से राप्तीनगर चौक तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	0.460	47.65
19	9	एच0एन0सिंह चौराहे से सुडिया कुआं तक साइड पटरी सुधार कार्य।	1.600	170.88
20	10	सोनौली मुख्य मार्ग से आदित्य यूरोलॉजी तक सड़क सुधार कार्य।	0.550	56.04
21	10	राजेन्द्र नगर पश्चिमी में वृन्दावन गेट से सोनौली मुख्य मार्ग तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	0.470	72.20
22	10	वनकटवा में सफायर मैरज हाल से अखिलेश सिंह, बृजेश पाण्डेय व बन्धे तक हा0मि0प्लां0 रो0 का निर्माण कार्य।	0.970	146.87
23	10	तुराहाबारी रो0 से सरजू देवी विकलांग एवं तुराहाबारी रो0 से सतीश सिंह के घर तक इ0ला0 द्वारा सुधार कार्य।	0.600	49.49
24	10	मैरी गोल्ड हास्पिटल के सामने इ0ला0 द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.190	31.84
25	11	हुमायूंपुर उत्तरी में गोरखनाथ थाना से दिग्विजय नगर तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य।	0.750	66.01
26	11	जनप्रिय विहार लाजपत नगर में व कसाई बाड़ा रो0 व प्रखर इ0प्रा0 से ओम प्रकाश शर्मा तक नाली/सड़क सुधार कार्य।	1.175	109.75
27	13	सन्त हुसैननगर कालोनी में हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	2.000	68.55
28	14	झरना टोला में कसया रो0 से नीनाथापा पुलिस चौकी तक सड़क चौड़ीकरण एवं एच.एम.पी; द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	1.030	81.58
29	14	झरना टोला में नीनाथापा पुलिस चौकी से सिंहासनपुर होते हुए राजदेव वर्मा के मकान तक क्षतिग्रस्त नाली मरम्मत व एच.एम.पी; द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2.385	171.65
30	16	सावरकर नगर एवं कालोनी में शिवमंदिर से विभिन्न गलियां होते हुए लुटावन चौराहा तक इ0ला0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.490	155.65
31	17	विछिया में पीएसी गेट से मिश्रीलाल के मकान तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.440	29.15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	अनुमोदित लागत
32	17	राधेश्याम भारती से कालीन्दी देवी के मकान होते हुए स्व0 रज्जाक के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इ0ला0 सड़क एवं इ0ला0 द्वारा पटरी एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.877	94.71
33	17	विछिया में पीएसी गेट यादव स्वीट से ताड़ीखाना तिराहे तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1.030	75.35
34	18	खजुरिया तिराहा से राहुल नगर तक नाली व इ0ला0 सड़क का कार्य।	1.200	74.23
35	19	दवहिया टोला में बनारस रो□ से भोला पासवान तक नाली व इ0ला0 सड़क का निर्माण कार्य।	1.550	93.36
36	20	गिरधरगंज में प्रदूषण चौराहा से नियर झारखण्डी मन्दिर तक नाली मरम्मत व एच.एम.पी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.690	53.29
37	20	गिरधरगंज में देवरिया मुख्य मार्ग से प्राइमरी स्कूल होते हुए प्रदूषण चौराहा तक एच.एम.पी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.450	39.37
38	20	गिरधरगंज में मझौली □ोम के मकान से सूर्या स्कूल होते तेज प्रताप के घर तक नाली/एच.एम.पी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.270	27.88
39	22	जटेपुर उत्तरी में राशन की दुकान से काली मन्दिर होते हुए रेलवे लाइन तक नाली एवं इ0ला0 रो□ का निर्माण कार्य।	0.600	59.83
40	23	अंधियारी बाग में मुख्य मार्ग से पल्लवी होम्यो हॉल तक हा0मि0प्लांट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	0.400	31.28
41	23	अंधियारी बाग में ओमकार सिमेंट से मस्जिद चौराहे तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	0.700	23.49
42	24	असुरन मुख्य मार्ग से जेल तक हा0मि0प्लांट से सड़क एवं आन्तरिक गलियों में इ0ला0 सड़क व नाली का निर्माण का कार्य।	1.230	112.19
43	26	भरपूरवां में कच्चीबाग कब्रिस्तान से फौजी पीसीओ तक नाली व इ0ला0 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य।	0.300	26.42
44	26	नरसिंहपुर के अन्तर्गत बसफोड़□तिराहे से गोल□न मैरेज हाउस होते हुए इलाहीबाग चौराहे तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	1.045	62.08
45	28	जंगल सालिक राम में लक्ष्मीपुर चौक से संगम चौक तक सड़क निर्माण का कार्य।	1.000	66.73
46	28	फातिमा बाई पास से शताब्दीपुरम तक सड़क निर्माण का कार्य।	1.500	89.55
47	28	फातिमा बाई पास रो□ से वात्सल्य होते हुये लक्ष्मीपुर चौक तक सड़क निर्माण कार्य।	1.650	98.06
48	29	शंकर वस्त्रालय से गोरख यादव, वशिष्ठ मिश्रा से गिरिश यादव तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार व नाली का कार्य।	0.975	79.95
49	29	हड़हवा फाटक से रेलवे लाइन के किनारे बुद्ध मंदिर होते हुए जगन्नाथ प्रसाद तक नाली एवं इ0ला0 रो□ का निर्माण कार्य।	0.550	57.65
50	31	हड़हवा फाटक से एल्युमिनियम फैक्ट्री तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार कार्य।	0.680	65.86
51	33	दशहरी बाग चौक से नूर मस्जिद, जामिया नगर मस्जिद और अजय नगर रो□ पर काली मंदिर से इमामबाड़□ कब्रिस्तान तक नाली एवं हा0मि0प्लां0 से सड़क निर्माण का कार्य।	1.880	122.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	अनुमोदित लागत
52	35	मदरसा चौराहा से शीतला माता मंदिर एवं अन्य गलियों में हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	0.523	32.99
53	35	हावर्ट बंधा से लालडिग्गी पार्क के तीनो तरफ हा0मि0प्लां0 से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.775	66.56
54	35	लालडिग्गी पार्क से राजघाट थाना होते हुए मदरसा चौराहा तक हा0मि0प्लां0 से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.300	18.55
55	39	धर्मशाला बाजार से टीनघर पुलिया से जटाशंकर चौराहा होते हुए गंगेज चौराहा तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	0.630	40.37
56	39	धर्मशाला बाजार में सुभाष ट्रैक्टर से धर्मशाला चौराहा तथा भरतमिलाप तिराहे तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	0.450	27.73
57	41	दुर्गाबाड़ी मेन रोड (रविदास मंदिर के सामने) से काली मंदिर, महाराणा प्रताप स्कूल होते हुए स्व0 जय बहादुर खरे के मकान तक हा0मि0प्लां0 से सड़क व नाली का निर्माण का कार्य।	1.035	77.39
58	42	वार्ड सं0 42 विजय चौराहा से अग्रसेन तिराहा तक सी0सी0 द्वारा सड़क व पटरी पर इ0ला0 का निर्माण कार्य।	0.340	70.96
59	43	रामजानकी नगर चौराहा से कुआं तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार व नाली का कार्य।	0.625	88.58
60	43	रामप्रित तिराहा से स्पोर्ट कालेज के तरफ हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार कार्य।	1.500	84.41
61	45	हावर्ट बन्धा से इलाहीबाग चौक होते हुए रेगुलेटर नं0 03 तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	0.600	35.60
62	45	इलाहीबाग में जाल्पा नसीम चौराहे से कब्रिस्तान तक नाली व इ0ला0 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य।	0.160	15.72
63	46	वार्ड सं0 46 दाउदपुर में कबीर मठ से सीताराम चौराहा होते हुये ट्रांसफार्मर तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क पटरी पर इ0ला0 का निर्माण कार्य।	0.490	55.25
64	47	नार्मल पुलिस चौकी से घण्टाघर तक हा0मि0प्लां0 से एस0डी0बी0सी0 एवं नाली मरम्मत का कार्य।	0.472	19.97
65	48	मैनादेवी स्कूल से सिरा किराना स्टोर होते हुए हनीफ एवं आजम के घर तक नाली/इ0ला0 सड़क निर्माण का कार्य।	1.005	123.69
66	49	जाफरा बाजार में घासीकटरा चौराहे से जाफरा बाजार चौराहा एवं पाकड़पेड़होते हुए दुर्गा मंदिर तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1.250	57.18
67	50	विकास नगर में नकहा क्रासिंग से केसर गार्डन होते हुए सोनौली रोड तक साइड पटरी व हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार कार्य।	1.300	87.23
68	50	विकास नगर में यू0एस0एके0मी से जालान फैक्ट्री तक सड़क/साइड पटरी निर्माण का कार्य।	0.700	176.24
69	50	हनुमान मंदिर से जालान फैक्ट्री हा0मि0प्लां0 से रोड सुधार कार्य।	0.550	75.00
70	50	ई0ब्लू0एस0 विस्तार नगर में परमानन्द तिवारी के घर से ई0ब्लू0एस0 पार्क के चारो तरफ एवं राम मिलन यादव से क्लासिक आई0टी0आई0 तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	0.410	34.92

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	अनुमोदित लागत
71	51	एस0एस0 ट्रेड्स से एकमिनारा मस्जिद तक हा0मि0प्लां0 से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.970	46.45
72	51	बक्शीपुर चौराहे से एकमिनारा मस्जिद होते हुये मारवाड़ स्कूल तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	0.630	64.96
73	52	जायसवाल पेन्टर शॉप से अम्बिका मैरेज हाउस तक इ0ला0 रो0 निर्माण व नाली मरम्मत का कार्य।	0.435	31.09
74	52	घोष कम्पनी चौक से नखास चौक तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार कार्य।	0.810	41.79
75	52	घोष कम्पनी चौक से नगर निगम गेट होते हुए कचहरी चौक तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार कार्य।	0.530	57.14
76	53	छोटे काजीपुर में डॉ0 काक चौराहे से दुर्गा मंदिर होते हुए री0 साहब धर्मशाला तक इ0ला0 रो0 निर्माण व नाली मरम्मत का कार्य।	0.720	60.97
77	54	भेड़ियागढ़ में मेडिकल कालेज मुख्य मार्ग से राजेश सिंह व प्यारे लाल के मकान तक पिच रो0, नाली व पटरी इ0ला0 का कार्य।	0.460	28.27
78	54	भेड़ियागढ़में डॉ0 वी0के0 सिंह के मकान से सुभाष सिंह के मकान तक इ0ला0 सड़क, नाली एवं पटरी इ0ला0 का कार्य।	0.500	65.18
79	54	मेडिकल मुख्य मार्ग से अभय नन्दन स्कूल , दुर्गा मंदिर होते हुये आरोग्य भारती हास्पिटल तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार व नाली का कार्य।	0.695	87.33
80	54	मेडिकल मुख्य मार्ग से विष्णुपुरम सम्पवेल तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार व नाली का कार्य।	0.600	68.76
81	55	अलहदादपुर चौक से पुरूषोत्तम औषधालय तक नाली एवं हा0मि0प्लां0 से सड़क निर्माण कार्य।	0.400	31.41
82	57	मोहददीपुर मुख्य मार्ग से पावर हाउस रो0 तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.565	47.43
83	58	मोहलालपुर मस्जिद से ट्रांसफार्मर होते हुए तिवारीपुर थाना तक हा0मि0प्लां0 से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.650	36.43
84	58	प्रकाश साउण्ड से ट्रांसफार्मर, अयूबी मस्जिद होते हुए बहरामपुर चौराहे तक हा0मि0प्लां0 से सड़क व नाली मरम्मत निर्माण कार्य।	1.010	53.54
85	61	गंगेज चौराहा से दुर्गाबाड़ी तिराही तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	0.470	38.67
86	63	चरियारी बाबा के मजार से निजामपुर चौराहा तक हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार कार्य।	0.890	59.78
87	66	मुफ्तीपुर में रेती चौक से मदीना मस्जिद होते हुए हिन्दी दैनिक तक हा0मि0प्लां0 से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.305	48.89
88	67	शेषपुर में घण्टाघर से हाल्सीगंज होते हुये मदरसा चौराहे तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	0.300	16.35
89	69	सिविल लाइन में कार्मल रो0 रेलवे बस स्टेशन से पुलिस लाईन तिराहा तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क का नवीनीकरण तथा आंशिक भाग में पटरी पर इ0ला0 का निर्माण कार्य।	0.700	77.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	अनुमोदित लागत
90	69	सिविल लाइन में हरिओम नगर तिराहा से वीर बहादुर सिंह की मूर्ति तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क का निर्माण तथा पटरी पर इ0ला0 का निर्माण कार्य।	0.250	37.07
91	69	सिविल लाइन में पुलिस लाईन तिराहा में यातायात तिराहा तक सड़क के दोनों तरफ पटरी पर इ0ला0 का निर्माण कार्य।	0.430	66.85
92	69	टेलीफोन एक्सचेंज आफिस से पिलर्स स्कूल तक हा0मि0प्लां0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	0.215	47.29
93	69	सिविल लाइन चौराहा से पार्क रो0 तक सड़क के दोनों पटरी पर इ0ला0 का निर्माण कार्य।	0.230	19.73
94	70	शास्त्रीनगर में राहुल लेन होते हुए रविशंकर के घर तक नाली/इ0ला0 रो0 का निर्माण कार्य।	0.450	39.77
95	70	नकहा/स्पोर्ट कालेज रो0 से उमाशंकर गुप्ता, ट्रांसफार्मर तक मजार रो0 पर नाली/हा0मि0प्लां0 से सड़क सुधार कार्य।	0.445	35.09
		कुल योग	**76.156**	**6295.73**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

4- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

6- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

7- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

10- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

14- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

15- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

16- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

17- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

18- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

19- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

21- प्रयोजनान्तर्गत मूल्यांकित लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 की धनराशि समिम्लित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रावल)
विशेष सचिव।

संख्या:39/2020/510(1)/35-4-2020 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/नगर आयुक्त नगर निगम, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रावल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in